

2.4.25

वादी... उपासक... लाल...

के लिए मौका चाहते हैं अतः अवसर दिया

जाकर दिनांक 18.6.25... को पेश हो।

ja

18.6.25

खावली पेठ हुड्डे वाडी स्थिति का उपस्थिति प्रकरण

में लम्बे समय से लाल में नियत है। वादी द्वारा लाल को फेंक
पेठ छिड़ गए नहीं जिससे जाहिर है कि वादी अपने भाड़े
प्रति जंभीर नहीं है तथा चलाना नहीं चाहते हैं।

अतः वादी का वाड को देना 9 मिनट 8.5 के तहत
अदम्य है। अदम्य लाल - लाल में खारिज किया जाता
है निर्णय से इअलाम सुनाया गया प्रकरण फेसल सुमा
होकर नम्बर से कम हो।



ja
(सोनिका कुमावली)

IAS
उपखण्ड अधिकारी
गिरवा, उदयपुर

.....
.....
.....

डिक्री व मुकदमे इत्दादाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिरवा, उदयपुर मुकाम गिरवा-उदयपुर पीठासीन अधिकारी सोनिका कुमारी, आई.ए.एस. मुकदमा 61/2023 सन 2023 सीगह वाद श्री खेमराज पिता रता जी उम्र वयस्क, निवासी ढींकली, तह. गिरवा उदयपुर (राज.) बनाम श्री सवा पिता हीरा उम्र वयस्क, निवासी भैसडाकला तह. कुराबड उदयपुर राज0 वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकदमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने सोनिका कुमारी, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी अधिवक्ता अनुपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :-

वादी का वाद आदेश 9 नियम 5, 8 के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी एवं तामिल के अभाव में खारिज किया जाता है।

और इस वाद के खर्चे लेखे/.....रुपये की राशि...../.....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर/.....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित/.....द्वारा/.....को दी जाए।

यह आज तारीख18..... माह06..... सन्2025..... को

मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।



हस्ताक्षर न्यायाधीश
पद/.....अधिकारी
गिरवा, उदयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

उपखण्ड अधिकारी
गिरवा, उदयपुर